कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानातरण–पदस्थापन/2018 दिनांक 24/7/18 द्वारा सीमा कुमारी भीमवाल व्याख्याता, समाजशास्त्र राउमावि विधाणी सांगानेर, जयपुर का स्थानातंरण सांवरदा दूदू, जयपुर एवं हंसा शर्मा व्याख्याता समाजशास्त्र राउमावि सांवरदा दूद जयपुर का स्थानातंरण राउमावि विधाणी,सांगानेर, जयपुर में किया गया था ।

उक्त आदेश के विरूद्व सीमा कुमारी भीमवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस0बी0 सिविल याचिका 20571/18 सीमा कुमारी भीमवाल बनाम सरकार दायर की गई,जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10/9/18 के अनुसरण में दोहरा पदस्थापन पर श्रीमती हंसा शर्मा व्याख्याता समाजशास्त्र को पारित निर्णय के अध्यधीन, इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.9.18 को राजकीय उमावि सांवरदा दूदू, जयपुर में पदस्थापित कर दिया गया ।

तत्पश्चात याचिका संख्या 20571/18 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 11/10/18 को अन्तरिम आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमति हंसा शर्मा को जिला जयपुर में ही अन्यत्र कंसीडर करने हेतु अप्रार्थीगण को निर्देशित किया गया है । श्रीमती हंसा शर्मा द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 15/10/18 का विभागीय अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18/9/18 द्वारा हंसा शर्मा को राउमावि सांवरदा दूदू जयपुर लगाया जा चुका है, अतः हंसा शर्मा का अभ्यावेदन निरस्त करते हुए निस्तारण किया जाता है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा./सस्था/सी–5/अभ्यावेदन/को.के20517/2018 दिनांक 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि माध्यमिक शिक्षा
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय को प्रति प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner